U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14, अशोक मार्ग, लखनऊ. 226 001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्या– 99/उनिलि/रिफॉर्म/त्याग–पत्र नियमावली, 2000 (2.17) दिनांक: 01/05/2024

कार्यालय ज्ञाप

निगम के "आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" में निहित विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (विलय के उपरान्त) के निदेशक मण्डल की दिनांक 10.04.2024 को आयोजित द्वितीय बैठक में मद संख्या–2.17 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उ0प्र0 सरकार, कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्याः 13/3/99–का–1–2000, दिनांक 26.06.2000 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2000" को उक्त नियमावली में उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न प्राविधानों को भी समाहित करते हुये उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अंगीकृत किया जाता है:–

क) किसी कार्मिक के निगम से त्याग–पत्र देने की स्थिति में 03 माह की सूचना अवधि (Notice period) को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में संदर्भित कार्मिक द्वारा 03 माह के समतुल्य वेतन अथवा शेष सूचना अवधि के समतुल्य वेतन निगम के खाते में जमा किया जाना होगा तथापि नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक को उक्त में शिथिलता प्रदान किये जाने के लिए स्वतंत्र होगा जिसका निर्णय अंतिम व मान्य होगा परन्तु जिन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) के पद से नीचे के हैं, के लिए शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ख) यदि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत किसी कार्मिक का चयन सीधी भर्ती के माध्यम से पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद की सभी इकाईयों यथा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/अन्य सहायक कम्पनी इत्यादि में अन्य किसी पद पर होता है तो ऐसी स्थिति में सूचना अवधि (Notice period) के विरूद्ध वेतन की प्रत्याप्ति नहीं की जायेगी एवं नियुक्ति प्राधिकारी उस कार्मिक को बिना किसी सूचना अवधि या किसी अल्पतर सूचना अवधि पर त्याग–पत्र की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा परन्तु जिन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) के पद से नीचे के हैं, के लिए शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ग) पूर्व के प्रकरणों को पुर्नउद्घाटित (Re-Open) नहीं किया जाएगा।

घ) उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या– 99/उनिलि/रिफॉर्म/त्याग–पत्र नियमावली, 2000 (2.17) तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव–परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), प्रगति इकाई, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0/वित्त एवं लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

01/05/24

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)

Scanned with OKEN Scanner

क्रम-संख्या—281(ग)

रजि० नं० एल. डब्लू./एन.पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एण्ड कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ सोमवार, 26 जून, 2000

आषाढ़ 5, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या 13/3/99-का-1-2000

लखनऊ, 26 जून, 2000

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०—39

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली, 2000

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2000" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2--यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

परिभाषायें

3--जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में पद--

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और उस सेवा से संबंधित सेवा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो।

त्याग-पत्र की सूचना

4--(1) कोई सरकारी सेवक लिखित रूप में तीन मास की सूचना देकर अपनी सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है।

(2) त्याग-पत्र की सूचना--

(एक) स्वैच्छिक और बिना शर्त होगी,

(दो) प्राधिकारी जिसके अधीन उक्त सरकारी सेवक त्याग-पत्र देने के समय कार्य कर रहा हो, को सूचित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित की जायेगी :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को बिना किसी सूचना या किसी अल्पतर सूचना के त्याग-पत्र की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

त्याग-पत्र का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना

5--(1) सरकारी सेवक का त्याग-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और उसके औपचारिक आदेश जारी नहीं किये जाते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार त्याग-पत्र स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है यदि--

(एक) सरकारी सेवक सरकार के प्रति किसी धनराशि का देनदार हो और/या कोई अन्य दायित्व हो तो जब तक कि देय धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो या दायित्व का निर्वहन न किया गया हो।

या

(दो) सरकारी कर्मचारी निलंबित हो,

या

(तीन) उसके विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात या लंबित हो,

या

(चार) आपराधिक आरोप से संबंधित अन्वेषण, जांच या परीक्षण लंबित हो और ऐसा आरोप सरकारी सेवक के रूप में उसकी शासकीय स्थिति से संबंधित हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी यथासंभव सूचना की अवधि के अवसान के पूर्व त्याग-पत्र की प्रार्थना पर विनिश्चय करेगा।

सेवा समाप्ति

6--उक्त सरकारी सेवक की सेवायें उसके त्याग-पत्र स्वीकृति के आदेश के जारी होने के दिनांक से या ऐसे भविष्यवर्ती दिनांक से जैसा उसमें उल्लिखित किया जाय, समाप्त हो जायेंगी।

त्याग-पत्र का वापस लेना

7--सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में एक निवेदन के द्वारा इस नियमावली के नियम-6 में यथा-उपबंधित अपनी सेवाओं की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही अपना त्याग-पत्र वापस ले सकता है।

आज्ञा से,

प्रदीप शुक्ला,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/3/99-Ka-1-2000, dated June 26, 2000 :

No. 13/3/99-Ka-1-2000

Dated Lucknow June 26, 2000

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS RESIGNATION RULES, 2000

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Government Servants Resignation Rules, 2000".

(2) They shall come into force atonce.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution or executive orders issued in this behalf.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression—

(a) "Appointing Authority" in relation to any service means the authority empowered to make appointments to such service under the relevant service rules;

(b) "Constitution" means the Constitution of India;

(c) "Government" means the state Government of Uttar Pradesh;

(d) "Government Servant" means a person substantively appointed to a post under the relevant service rule made under Article 309 of the Constitution;

(*e*) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(*f*) "Substantive appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the service rules relating to that service.

Notice of Resignation

4. (1) A Government servant may resign from his service by giving three months notice in writing.

(2) The notice of resignation shall be—

(*i*) voluntary and unconditional,

(*ii*) addressed to the appointing authority under intimation to the authority under whom the said Government Servant is working at the time of tendering resignation :

Provided that it shall be open to the appointing authority to allow a Government Servant to resign without any notice or by a shorter notice.

Acceptance or refusal of resignation

5. (1) The resignation of the Government servant shall not be effective unless it is accepted by the appointing authority and formal order is issued thereof. The appointing authority may, in this discretion, refuse to accept the resignation, if—

(*i*) the Government servant owes to the Government any sum of money and/or any other liability unless the amount due has been paid or the liability discharged.

Or

(*ii*) the Government servant is under suspension,

Or

(*iii*) any inquiry is contemplated or pending against him,

Or

(*iv*) investigation, inquiry or trial relating to criminal charge is pending and such charge is connected with his official position as the Government Servant.

(2) The appointing authority shall, as far as possible take decision on the request of resignation before the expiry of the period of notice.

Termination of service

6. The services of the said Government servant shall stand terminated with effect from the date of issue of order of the acceptance of his resignation or from such future date as mentioned therein.

Withdrawal of resignation

7. The Government servant may withdraw his resignation by making a request in writing to the appointing authority only before the date of termination of his services as provided in rule 6 of these rules.

By order,
PRADEEP SHUKLA,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 3 सा0 नियुक्ति--(1058)--2000--4000 (मैक0)।